

सायलय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

मि.न. 87 / 2020

पीठासीन अधिकारी
अनूप सिंह (आरटीएस)
दिनांक 6.03.2020

सरकार बनाम जगराम

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का देवता ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2076 में वाके ग्राम के देवता तहसील कोटपूतली के ख0 न0 846/0.09 है0 किस्म गै0मु0 पहाड में से 0.0010 है0 भूमि पर जगराम पुत्र सगरा जाति अहीर निवासी ढाणी ओहदा तन देवता ने कब्जा कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिपोर्ट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । सूचना बाद गैर सायल की तरफ से अधिवक्ता उपस्थित आये तथा जबाब पेश किया जो संलग्न पत्रावली किया गया है गैर सायल ने अपने जबाब में कथन किया कि पटवारी हल्का ने बिना मौके पर जांच किये ही श्रीमान के समक्ष गलत रिपोर्ट पेश की है गैर सायल का खसरा नंबर 846 पर कोई अतिक्रमण नहीं है। गैर सायल द्वारा प्रस्तुत जबाब के संदर्भ में पुनः भू- अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच करवाई गई जो संलग्न पत्रावली की गई । भू- अभिलेख निरीक्षक बनेठी ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया की पटवार मण्डल देवता के ग्राम देवता के खसरा नंबर 846 किस्म गैर मुमकीन रास्ता के संदर्भ में पेश की गई 91 एल.आर. एक्ट के संबन्ध में जांच की गई । पटवारी हल्का द्वारा पेश की गई 91 की रिपोर्ट सही पाई गई। । अतः हमने पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट , गैरसायलान द्वारा प्रस्तुत जबाब , भू- अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजों पर गौर किया तो विवेचन पर पाया की गैर सायलान द्वारा ग्राम देवता के खसरा नंबर 846 किस्म गैर मुमकीन रास्ता पर अतिक्रमण सिद्ध होता है । अतः आतिक्रमि के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढ़ावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी।

अतः गैरसायल जगराम पुत्र सगराराम जाति अहीर निवासी ढाणी ओहदा तन देवता तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम देवता तहसील कोटपूतली के खसरा नंबर 846/0.09

21/3/2020
अनूप सिंह

